तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज वाद प्रा0पत्र मु0न0 11/2022 उनवानी श्रीमती पदमादेवी बनाम बाल विकास परियोजना अधिकारी राजाखेडा व अन्य, न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
06.02.2024	आज यह पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादी संख्या–1 बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रतिवादी का यह कथन है कि उपरोक्त उनवानी वादपत्र वादीया द्वारा बिधि बिरूद्व प्रस्तुत किया गया है न्यायालय श्रीमान अपीलीय कोर्ट है परीक्षण (ट्रायल) कोर्ट नहीं है न्यायालय श्रीमान में उक्त वाद प्रस्तुत नहीं हो सकता इसलिये न्यायालय श्रीमान को वादपत्र सुनने का अधिकार नहीं है। वादीया द्वारा ग्राम सभा ग्राम पंचायत कोटपुरा के प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 08.01.2018 के बिरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो बिधि बिरूद्व है। ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बिरूद्व राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प 11(3)10/मो./आई.सी.डी.एस/2011/150819 जयपुर दिनांक 09.11.2016 के अनुसार दावा नहीं किया जायेगा बल्कि आदेश के 30 दिन के अन्दर आदेश के विरूद्व प्रथम अपील जिला उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवायें के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। वादी द्वारा यह वादपत्र उपरोक्त राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09.11.2016 के बिरूद्व प्रस्तुत किया है इसलिये दावा बार्ड बाई लॉ होने के कारण आदेश 7 नियम 11(डी)सी.पी.सी. के तहत एवं न्यायालय श्रीमान को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं है काबिल खारिजी है। वादिया के अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त प्रकरण आदेश 7 नियम 11 के तहत ही निर्णय पारित कर जे.एम. कोर्ट ने श्रीमान डी.एम. साहब के यहॉ पर प्रस्तुत किये जाने बावत वापिस किया है। जिस समय प्रकरण वापिस किया गया था उस समय प्रतिवादी संख्या–1 को कोई भी आपत्ति प्रकरण में नहीं थी व वक्त निर्णय प्रतिवादी संख्या–1 उक्त प्रकरण में उपस्थित थे तथा अपने पूर्व कथन से बाध्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीया ने यह वाद वास्ते स्थायी निषेघाज्ञा एवं सादेश व्यादेश ग्राम सभा ग्राम पंचायत कोटपुरा के प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 08.01.2018 के बिरूद्व डिकी किये जाने बावत प्रस्तुत किया गया है। वादपत्र वादीया द्वारा बिधि बिरूद्व प्रस्तुत किया गया है यह न्यायालय अपीलीय कोर्ट है परीक्षण (ट्रायल) कोर्ट नहीं है।	

प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर आर टी 2019(1) पेज 437 पर बिन्दु डी में यह स्पष्ट अंकित है कि " Revenue Board and District Collector are not competent to decide the regular suit" न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत नहीं हो सकता इसलिये इस न्यायालय को वादपत्र सुनने का अधिकार नहीं है। वादीया द्वारा ग्राम सभा ग्राम पंचायत कोटपुरा के प्रस्ताव संख्या–3 दिनांक 08.01.2018 के बिरूद्व प्रस्तुत किया गया है जो बिधि बिरूद्व है। ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव के बिरूद्व राजस्थान सरकार के परिपत्र कंमाक प 11(3)10/मो./आई.सी. डी.एस/2011/150819 जयपुर दिनांक 09.11.2016 के अनुसार दावा नहीं किया जायेगा वल्कि विभागीय दिशा निर्देशों के अनरूप चयन नहीं होने पर एक माह के अन्दर आदेश के विरूद्व प्रथम अपील जिला उप निदेशक समेकित बाल विकास सेवायें एवं द्वितीय अपील मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी। वादी द्वारा यह वादपत्र उपरोक्त राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 09.11.2016 के बिरूद्व प्रस्तुत किया है इसलिये दावा वार्ड वाई लॉ होने के कारण एवं इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

अतः प्रतिवादी संख्या–1 का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर वादिया का वाद वार्ड वाई लॉ होने के कारण एवं इस न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने के कारण पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को निर्देशित किया जाता है कि वह राजस्थान सरकार के परिपत्र कंमाक प 11(3)10/मो./आई.सी. डी.एस/2011/150819 जयपुर दिनांक 09.11.2016 के परिपेक्ष्य मे प्रकरण की जॉच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें। उक्त आदेशिका की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर वाद तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर
धौलपुर